District & Session Court
Udaipur (Rajasthan)

Paper Presentation on

Section 9 of Civil Procedure Code, 1908

by

Ashok Kumar Sahu (Mob: 9460795907)

Advocate

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 09 का एक विशलेषात्मक अध्ययन

यह कि किसी भी विवाद का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय में निहित अथवा प्राप्त है या नहीं इस विधिक बिन्दु का निर्धारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 09 में किया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 09 यह प्रावधान करती है कि न्यायालय सिविल प्रकृति के समस्त वादों का विचारण करेगा उन वादों को छोड़कर जिनका संज्ञान विवक्षित अथवा अभिव्यक्त रूप से वर्जित है।

कोई भी वाद ''सिविल वाद'' है अथवा नहीं यह भी तय करने के बाद ही सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये, सिविल वाद क्या है यह समझा जायेगा।

सिविल प्रकृति का वाद क्या है:

सिविल न्यायालय प्रस्तुत एक लिखित प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन जो कि सुपाठ्य टाईपशुदा अभिवचनों के अनुरूप मय दस्तावेजात व प्रतिवादी को भेजे जाने वाले समन के साथ पूर्ण दस्तावेज वाद है। अब प्रश्न यह है कि ''सिविल वाद'' क्या है यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संहिता कीधारा 9 में सिविल वाद को परिभाषित नही किया गया है केवल मात्र इस धारा में सिविल न्यायालय समस्त प्रकार के सिविल वादों का विचारण करेंगे ऐसे वादों का विचारण नही करेंगे जो स्पष्ट अथवा विवक्षित रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वर्जित हो अब तक के अध्ययन में यह स्पष्ट नही हो पाया कि सिविल वाद क्या है?

सिविल वाद से आशय:-

.	किसी महत्वपूर्ण अधिकार प्रवर्तन की मांग।

इ.	संपत्ति चल अचल अथवा पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित हो।

ब.	धार्मिक पद से संबंधित विवाद

सिविल अधिकार क्या है:

चल अचल संपत्ति अथवा पद से संबंधित अधिकार के अपकृत्य के विरूद्ध भारतीय नागरिकों को विभिन्न विधियों में प्रदन किये गये विधिक अधिकार सिविल अधिकार है साथ ही विधि द्वारा प्रदत्त उपचार भी सिविल अधिकार है।

किसी भी वाद की रचना करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 2 का अवलोकन करना चाहिए।

यह कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में क्षेत्राधिकार के बारे में यह प्रावधान कर रखा है कि जिला न्यायालय अपने भौतिक सीमा स्थानीय सीमाओं में स्थित संपत्ति का वाद उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत होगा।

अन्य अधिनस्थ न्यायालय के लिये राजस्थान उच्च नयायालय ने वार्ड का वर्गीकरण कर रखा है। इसी प्रकार श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है इससे पूर्व श्रवणाधिकार को भी समझना होगा।श्रवणाधिकार का सामान्य शब्दों में अर्थ विधि ने जिसे सुनने के लिए प्राधिकार प्रदान कर रखा हो अन्य शब्दों में न्यायालय को विवाद्यक, निर्णय, डिक्री बनाने की शक्ति से है यहां पर हमें संक्षिप्त विवाद्यक निर्णय डिक्री को समझना होगा।

विवाद्यक क्या है:

विवाद्यक का उल्लेख इस संहिता के आदेश 14 में वर्णित किया गया है, परन्तु विवाद्यक को इस आदेश में परिभाषित नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद और प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत वाद और प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत वाद और प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा के आधार पर वादी और प्रतिवादी के मध्य मुख्य मतभेद और विवाद बिन्दु की रचना का अभिव्यक्त स्वरूप विवाद्यक है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा जवाब से न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद का अभिव्यक्त स्वरूप विवाद्यक है।

वाद व निर्णय क्या है:

वाद से आशय ऐसी सिविल कार्यवाही से है जो वाद पत्र प्रस्तुतीकरण से होता है। यह एक लिखित अभिवचन युक्त वादी का विधिक ज्ञापन होता है और वाद में वादी और प्रतिवादी के अधिकारों का विवाद्यक के आधार पर अधिकारों का अवधारणा निर्णय है।

डिक्री से क्या आशय है:

निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति निर्णय है। सारभूत रूप से सिविल न्यायालय सिविल वादों को सुनने श्रवणाधिकार का विधिक प्राधिकार रखता है। सभी प्रकार के सिविल वादों का निर्धारण मयाद अधिनियम में अनुसूची के रूप में कर रखा है एवं वादों के प्रकारों

का मय अनुच्छेद एवं वाद प्रस्तुत करने की मयाद का भी स्पष्ट उल्लेख कर रखा है। वाद निर्माण करते समय मयाद अधिनियम की उक्त अनुसूची के अनुसाद वाद की रचना करनी चाहिए साथ ही अधिवक्ता को अपनी कार्यालय पत्रावली में भी इस बात तथ्य को लिख कर रखना चाहिए, साथ ही प्रतिवादी की ओर से न्यायालय प्रस्तुतीकरण में भी प्रथम अवसर पर ही उक्त तथ्य का निर्धारण करना चाहिए।

सिविल प्रक्रिया ंसहिता, 1908 की धारा 9 के अंतर्गत अभी तक सिविल वाद पद का अध्ययन किया है। इसी धारा में ''संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित न हो'' का उल्लेख भी किया गया है। उक्त पद का सामान्य अर्थ यह है कि सिविल विवाद होने अथवा अधिकार प्रवर्तन की शर्त होने के बाद भी इसी प्रकार के विवाद का निर्णय करने हेतु सिविल न्यायालय अधिकृत नहीं है इस तथ्य को तय करने के लिये कोई विवाद सिविल विवाद है परन्तु इस प्रकार के विवादों का निराकरण सिविल प्रक्रिया संहिता में भी बाध्य कर रखा है व अन्य विधियों में भी बाध्य कर रखा है।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10, 11, 30 95 में वाद संज्ञान वर्जित कर रखा है इसी प्रकार कार्यो का विभाजन हो इस दृष्टिकोण से विधयन ने विवादों का निस्तारण करने हेतु विशेष विधियों का निर्माण कर रखा है सबसे पहले किसी विवाद के ऊपर कोई विशेष विधि बनी है तो उसका अध्ययन करना चाहिए उस विधि में सिविल न्यायालय को वर्जित कर रखा है उसका अध्ययन करना चाहिए। वाद रचना करते समय वाद विधित: वर्जित न हो इस नियम का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वाद की प्रकृति का निधारण कौन करेगा।

वाद की प्रकृति का निर्धारण न्यायालय स्वयं करेगा।(भाटिया को. सोसायटी लि. बनाम डी.सी.पटेल)

प्रथम अवसर पर न्यायालय क्या उपधारणा करेगा। न्यायालय उपधारणा करेगा की वाद सिविल प्रकृति का है।) धूला बाई बनाम मध्यप्रदेश)

सबूत का भर किस पर होगा।

जो यह दावा करे कि वाद सिविल प्रकृति का नहीं है। (महन्त राजूदास बनाम उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा)

वाद सिविल प्रकृति का होना।

संज्ञान वर्जित न होना।

तब न्यायालय को विचारण अधिकारिता होगी।

वाद की प्रकृति निर्धारण के लिये न्यायालय के पास न्यायिक विवेकाधिकार है और सिविल प्रकृति के वादों का विचारण करने हेतु न्यायालय विधितः आबद्धकर है।

किसी भी सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त वाद के श्रवणाधिकार उस न्यायालय को प्राप्त है अथवा इस बिन्दु का निर्धारण करने के लिए निम्न को ध्यान में रखना होगा।

1. **स्थानीय अधिकारिता :–** सरलतम रूप में स्थानीय अधिकारिता से आशय ''जिला न्यायालय'' अपने जिला के मामले को सुन सकता है और इसी प्रकार से सिविल न्यायालय के लिये निर्धारित स्थानीय सीमा भौतिक सीमांकन जो की वार्डनंबर के रूप में अभिव्यक्त हो उन मामलों को सुन सकेगा अथवा संपत्ति उस न्यायालय के स्थानीय सीमा में स्थित हो।
2. **धन संबंधी अधिकारिताः–** वाद का मूल्यांकन किये जाने के बाद वाद का मूल्यांकन उसमें मांगे गये अनुतोष से कर सभी न्यायालयों के लिये निर्धारित आर्थिक अधिकारिता का परीक्षण करने के बाद ही वाद प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय वस्तु की अधिकारिताः न्यायालय में प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु (अनुतोष वाद की प्रकृति) इस प्रकार की होनी चाहिए कि न्यायालय उस वाद को श्रवणाधिकार अर्थात् सुनने का विधिक प्राधिकार रखता हो।

उपरोक्त अध्ययन के बाद दो तकनीकी शब्द समक्ष प्रकट आते है जिनको संक्षिप्त समझना आवश्यक हैः

. **श्रवण अधिकारः–** न्यायालय को वाद सुनने हेतु विधिक रूप से प्राधिकार प्राप्त हो।

इ. **क्षेत्राधिकारः–** भौतिक सीमाओं से आशय है जिस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, किस कारण उसके क्षेत्राधिकार अथवा उसकी भौतिक सीमा के कारण वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। सामान्यतः वाद अभिवचन में क्षेत्राधिकार वार्ड उल्लेख होने के साथ कियाजाता है। यहां यह स्पष्ट करा आवश्यक है कि वाद प्रस्तुत करने का स्था निर्णय किसी भी अधिवक्ता को

करने से पूर्व इस संहिता की धारा 15 से 20 को ध्यान से रखकर वाद प्रस्तुत करना चाहिए।

वाद प्रस्तुत करने का स्थलः–

यह कि वाद किस न्यायालय में प्रस्तुत होगा इस विषय का निर्धारण करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में धारा 15 से 25 में प्रावधान किया है, साथ ही उक्त धारा में मामलों के अन्तरण का भी प्रावधान किया है उक्त अध्ययन को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे।

. धारा 15 से 21 क्षेत्राधिकार

इ. धारा 22 से 25 अंतरण अधिकारिता

धारा 15 :– प्रत्येक वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत होगा जो उसका विचारण करने हेतु सशक्त (प्राधिकृत) हैं राजस्थान के संदर्भ में प्रत्येक सिविल वाद आरंभिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत होगा। राजस्थान में आरंभिक क्षेत्राधिकार का न्यायालय सिविल न्यायाधीश (मुंसिफ) है। इस न्यायालय में आर्थिक क्षेत्राधिकार पांच लाख तक निर्धारित किया है। पांच लाख की आर्थिक रकम की विवाद विषय वस्तु को उपरोक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

अचल संपत्ति से संबंधित (धारा 16 से 18)

चअल संपत्ति से संबंधित वाद विहित धन संबंधी परिसीमा के अंतर्गत।

1. भाटक लाभों की प्राप्ति हेतु।
2. अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति का वाद।
3. विभाजन का वाद।
4. बंधक मोचन का वाद।
5. स्थाई संपत्ति के हित व अधिकार अवधारण का वाद।
6. स्थाई संपत्ति के विरूद्ध किये अपकृत्य का वाद।

उक्त प्रकार के समस्त वाद उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार में वाद प्रस्तुत होगा।

अब प्रश्न यह है कि वाद प्रस्तुत करने का स्थान विधि के द्वारा निर्धारण क्यों किया?

यह कि उक्त व्यवस्था इसलिए की गई है कि न्यायालय अपनी डिक्री की अनुपालना प्रतिवादी के विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से उसकी

व्यक्तिगत संपत्ति के विरूद्ध कार्यवाही कर डिक्री की अनुपालना करा सकता है। इसी कारण से यह व्यवस्था की गई है।

वाद उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत संपत्ति स्थित हो।

वाद उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा जहां पर प्रतिवादी निवास करता हो, कारोबार करता, अभिलाभ के लिये स्वयं कार्य करता हो।

धारा 17 जहां संपत्ति एक से अधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हो।

इस प्रकार के मामलों में वाद की विषय वस्तु भिन्न भिन्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हो तो संपत्ति का बड़ा भू भाग जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है यह एक व्यवहारिक नियम है। उस न्यायालय में वाद प्रस्तुत होगा।

धारा 18:– जब यह निर्धारण करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो की कि विभिन्न संभावित न्यायालय में से कि न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता ऐसी दशा में वादी को विकल्प दिया है कि अनिश्चितता के पर्याप्त आधार इस कारण किसी एक न्यायालय में प्रस्तुत होगा।

धारा 19:– शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किये गये दोष के लिए प्रतिकार के लिए वाद

. जिस न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राध्किारिता में अपकृत्य हुआ हो।

इ. जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के भीतर प्रतिवादी निवास व कारोबार करता है।

धारा 20:– उक्त धारा में वादी के विकल्प पर कोई भी वाद निम्नलिखित में से किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

1. प्रतिवादी जिस न्यायालय की क्षेत्राधिकार में वस्तुतः एवं स्वेच्छिक रूप से निवास करता, कारोबार करता।
2. उस न्यायालय में जिसमें पूर्णतः अंशतः वाद कारण उत्पन्न हुआ हो।
3. प्रतिवादी निगम के संबंध में यह माना जाता है कि वह अपने मुख्य कार्यालय के स्थान पर कारोबार संचालित करता है जहां निगम का स्थानीय कार्यालय हो और वाद कारण भी वहीं उत्पन्न हुआ हो तो उस स्थान पर वाद लाया जा सकता है।

धारा 20 के प्रावधान समान रूप से सभी वादों पर लागू होते है।

इस प्रकार कोई वाद प्रस्तुत करने में स्थान निर्धारण में निम्नांकित मापदंडों को उक्त धारा में ध्यान रखा जायेगा।

- जहां पर चल संपत्ति स्थित हो।
- जहां पर वाद कारण पूर्णतः अंशतः उत्पन्न हुआ हो।
- जहां प्रतिवादी अपना निवास, कारोबार या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है।

उक्त अध्ययन में अब वाद रचना में महत्वपूर्ण विषय वस्तत ''वाद कारण'' के बारे में संक्षिप्त अध्ययन आवश्यक हैं वाद कारण को यदि वाद पत्र की आत्मा कहा जाये तो भी अतिशियोक्ति नहीं होगी।

वाद कारण क्या है:– वाद कारण से आशय उन कारणों और परिस्थितियों के उत्पन्न होने से है जो वाद को जनम देती है। इसका तात्पर्य प्रत्येक तथ्य वाद जीतने हेतु सिद्ध करना आवश्यक हो प्रत्येक वाद कारण जन्म वाद से पूर्व में होता है।

सार कथन:– न्यायालय समस्त सिविल वादों का विचारण करेगा जब कि ऐसा करने हेतु वह अभिव्यक्त व विवक्षित रूप से वर्जित न हो अनुतोष का स्वरूप ही इस प्रकार का होना चाहिये कि उस अनुतोष को प्रदत्त करने हेतु सिविल न्यायालय अधिकारिता रखता है।

Paper presented by
Advocate Ashok Kumar Sahu
Mob: 9460795907